लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462023

E-Mail-additionaldirector10@gmail.com

क्रमांक/पी0ए0/अप.संचा./विविध/ईपीईएस/2018/115 भोपाल, दिनांक 17.12.2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
(मण्डला, डिण्डोरी,अलीराजपुर,
बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश।

विषय :— एक परिसर एक शाला के आदेश जारी करने विषयक ।

संदर्भ :— म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग का परिपत्र क्रमांक/एफ 44—19/2018/20—2 दिनांक 5.09.2018 एवं लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र पी0ए0/अप.संचा./विविध/ईपीईएस/2018/95 दिनांक 28.09.2018

— 0 —

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र की कण्डिका 2.1 की उप कण्डिका 1.1 के अनुसार एक परिसर एक शाला के रूप में चिन्हित शालाओं के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर आपके द्वारा जारी किये जाने थे। इस संबंध में कुछ जिला कलेक्टरों के द्वारा आदेश जारी किये जा चुके है, परन्तु अधिकांश जिलों में विधान सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण उपरोक्त आदेश जारी नहीं हो सके है ।

अब चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है अतः जिन जिलों में उक्त आदेश आज पर्यन्त जारी नहीं किये गये है, उन जिलों में एक परिसर एक शाला संबंधी विद्यालयवार आदेश जारी किया जाना है। आपके द्वारा जारी किये जाने वाले उक्त आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए की भविष्य में एक परिसर के अन्तर्गत संचालित समस्त शालाऐं एकीकृत मुख्य शाला के नाम से ही संचालित होगी तथा उक्त शालाओं का अमला भी मुख्य शाला का अमला माना जावेगा। भविष्य में एक परिसर एक शाला के तहत चिन्हांकित शालाओं में पदस्थापना एवं स्थानान्तरण एकीकृत मुख्य शाला के नाम से ही की जावेगी।

कमांक	विकासखण्ड का नाम	संकुल केन्द्र का नाम	एकीकृत मुख्य शाला का नाम एवं डाईस कोड	परिसर में स्थित अन्य शालाओं के नाम एवं डाईस कोड जिन्हें मुख्य शाला में विलय किया जाना है	रिमार्क

कृपया उपरोक्त प्रारूप में अपने जिले में चिन्हांकित एक परिसर एक शाला के आदेश दिनांक 25.12.2018 के पूर्व जारी किया जाना सुनिश्चित् करने का कष्ट करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0

पृ0क्रमांक/पी0ए0/अप.संचा./विविध/ईपीईएस/2018/116 भोपाल, दिनांक 17.12.2018

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मण्डला, डिण्डोरी,अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, (मण्डला, डिण्डोरी,अलीराजपुर, बड़वानी, अनूपपुर, झाबुआ को छोड़कर) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0